

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क्रमांक:-एफ 1(1)(4) आप्रसआ/सामान्य/2010/ 353-68 जयपुर, दिनांक 15-1-11

अधिसूचना

जिला कलेक्टर से प्राप्त गिरदावरी रिपोर्ट, सम्वत् 2067 के आधार पर राजस्थान एफेक्टिव एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा राज्य के निम्नलिखित जिलों के आगे अंकित संख्या के ग्रामों को, जिनका नाम संलग्न सूची में अंकित है, अभावग्रस्त घोषित करती है एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 15 जुलाई 2011 तक लागू रहेंगे:-

क्र.सं	नाम जिला	अभावग्रस्त घोषित ग्रामों की संख्या
1.	बांसवाड़ा	1002
2.	डूंगरपुर	247
	योग:-	1249


राज्यपाल की आज्ञा से

15/1/11  
(सन्मय कुमार)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री/आ.प्र. एवं सहायता मन्त्री/वित्त मन्त्री/जिला प्रभारी मन्त्री, राज. जयपुर ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकस), राज., जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमन्त्र राज., जयपुर ।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राज., जयपुर ।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर ।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज. जयपुर ।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर ।
8. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव, राज., जयपुर ।
9. संयुक्त सचिव (एन.डी.एम. डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

10. संयुक्त सचिव (डी.एम. डिवीजन) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
11. संयुक्त सचिव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, नई दिल्ली ।
12. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर ।
13. सम्भागीय आयुक्त उदयपुर, राज. ।
14. संबंधित जिला कलेक्टर
15. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर ।
16. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
17. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के समस्त अधिकारीगण
18. रक्षित पत्रावली / सांख्यिकी शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
19. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है । कृपया इसकी 50 प्रतियाँ इस विभाग को भिजवाये ।

  
शासन उप सचिव